November, 1966, from the Sub-Divisional Magistrate, New Delhi:—

"I wish to inform you that Swami Rameshwaranand, Member, Lok Sabha, was taken into custody under Sections 120-B 395/188/147/148/149/307/332/436 I.P.C. and section 9 of the Punjab Security of State Act today, the 7th November, 1966, at 1 p.m. He has been remanded to judicial custody till 20th November, 1966." (*Interruptions*).

Mr. Krishnamoorthy Rao.

2.17½ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

NINETY-SEVENTH REPORT

Shri Krishnamoorthy Rao (Shimoga): I present the Ninety-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills.

12.17¾ hrs.

RE. ARREST OF MEMBER

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : मुझे स्वामी जी के बारे में एक इत्तिला हाउस को देनी है। उनको गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस थाने में रखा गया और मुझे इस बात का भय है कि एक और आदमी की जान पर आंच आ सकती है। आज सुबह यह देखकर मुझे बहुत विस्मय हुआ कि मोटरों के नाम लिखे गये, जो जल गईं, लेकिन सात आदमी जो मरे हैं, उनमें से एक का पता नहीं है कि कौन मरा और कहां मरा। यह कहना चाहता हूं कि यह मामूली बात नहीं है ... (*Interruptions*).***

Mr. Speaker: It should not be recorded. I request the hon. members not to continue in this manner. I will ask the Reporters that when a Member stands up and begins to talk and I ask him to discontinue it and he does not, then that might not be recorded.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha): You must also issue instructions to the Press not to publish it.

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप यह कह रहे हैं कि रिकार्ड न किया जाय, मुझे रिकार्ड से कोई मतलब नहीं लेकिन सदन सुनले कि गृह मंत्री . . . ***

अध्यक्ष महोदय : यह न लिखा जाय। (**व्यवधान**)

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : जितने साधु मरे हैं, उनके नाम बतलाये जायें। (**व्यवधान**)

डा० राम मनोहर लोहिया : ***

अध्यक्ष महोदय : मैंने इतनी दफ़ा कहा है, आप मानते नहीं हैं, बोले चले जा रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : आपने कहा कि रिकार्ड नहीं किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : इस वास्ते कि आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आप बोलते चले जायें, तो यह बात नहीं है कि आपको मना नहीं करूंगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप रिकार्ड न कराने की धमकी जो देते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वे कहां के व्यक्ति थे, कैसे मरे, कब मरे, इसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रेसवालों से भी कहता हूं कि वे देखलें कि क्या रिकार्ड हुआ है। ऐसी कोई चीज न जाय जो ठीक न हो।

***Not recorded.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): I wish to make humble submission with regard to.... (*Interruptions*).

श्री हुकम चन्द कछवाय : किसके बच्चे मरे हैं, किसका पति मरा है, यह मालूम होना चाहिये ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : आपने मरवाये हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : वह कहते हैं कि हमने मरवाये हैं..... (**व्यवधान**) चुप रहो । ... (**व्यवधान**)... हमने मरवाये हैं ? पुलिस की लाठी गोली से मरे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय का बिहेवियर ग्रासली डिसग्रार्डरली है, उनको कहता हूं कि वह बाहर चले जायें ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि उधर से कहा गया कि आदमियों को हमने मरवाया है, विरोधियों ने मरवाया है तो उन्हें तो आप बाहर नहीं निकालते और हमें बाहर निकाल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप बाहर जायेंगे या नहीं ? माननीय सदस्य बाहर चले जायें ।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : एक, एक करके बाहर भेजें और रेकार्ड में न लें ।

एक माननीय सदस्य : बाहर भेजें यही है तानाशाही । मरने वालों के नाम न बतला कैसे चल सकती है लोकसभा (**व्यवधान**)

[*Shri Hukam Chand Kachhavaiya left the House*]

Shri Kapur Singh: I wish to submit that a certain omnibus direction which you have just now given to the Reporters might be revised for the reasons which I am going to mention just now.

You have said that the Reporters, whenever they find that you have not given any express consent for a Member to speak should not record whatever is said....

Mr. Speaker: The order that I have given that it should not be recorded has been stated wrongly by the hon. Member; I have said that when a Member begins to speak and then I ask him to discontinue that, and still in defiance of that he continues, then what he speaks should not be recorded. That is what I have said.

Shri Kapur Singh That is all right. (*Interruptions*).***

Mr. Speaker: These interruptions shall not be recorded.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : कल माननीय गृह मंत्री ने यह बतलाया था कि जो वह बयान दे रहे हैं उन्हें अभी नाकाफी इत्तिला है और वह पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कब वह समय आयेगा जब तक पूरी इत्तिला देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुनासिब बात उन्होंने पूछी है और मैं उनको यह कहूंगा कि वह फेक्ट्स इकट्ठा करके जब भी वह दे सके वह हाउस के सामने दे दें ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा एक प्वाएंट आफ़ आर्डर है.....

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ ।

Shri Hem Barua (Gauhati): Yesterday, while the hon. Home Minister made his statement, he himself had admitted that the statement was not a full one because he could not collect all the relevant facts.

Mr. Speaker: I have said already that I shall ask the Home Minister to collect all the information and then make a fuller statement.

** Not recorded.

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय अभी आपने श्री हुकम चन्द कछवाय को सदन् से बाहर जाने का आदेश दिया। मैं यह बिलकुल उचित ही समझता हूं कि उन्होंने उसकी पाबन्दी की केवल इतना मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने इश्तियाल दिलाया, खुल्लमखुल्ला इश्तियाल दिलाया और यह आरोप लगाया कि तुम्हारे कारण इतने लोग मारे गये उनको आप ने या तो जानबूझ कर दरगुजर कर दिया **(व्यवधान)**

मैं फिर निवेदन करूंगा कि जब इस तरफ़ से कोई बात कही जाती है तो उधर से हूट आऊट करते हैं। जहां तक बन पड़ता है हम शान्त रहते हैं लेकिन जब मामला हद से गुजर जाता है तब हमें जाकर बोलना पड़ता है और अगर उस पर यह फैसला दे दिया जाता है कि रेकार्ड में नहीं लिया जायगा तो यह हमारे साथ न्याय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है।

श्री ब्रजराज सिंह : उसके लिये मुझे बतलाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं और कुछ नहीं बतला सकता।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have only one submission to make in regard to your orders. In your order you have mentioned that you have asked the Reporters as well as the Press not to take note of it. There will be some misunderstanding in regard to this, if it is not clarified further. For, you have just said that whenever you do not identify any Member, despite this, if the Member continues to speak, his observations should not be recorded. I would only request you that....

Mr. Speaker: I have not said that. What I had stated has been wrongly understood.

Shri S. M. Banerjee: But I want to understand one thing. I would like to know whether you are the Speaker here or Shri M. R. Masani. Why should he nod his head every time?

Mr. Speaker: I have not said that. Now, Shri Madhu Limaye.

Shri S. M. Banerjee: Let me finish.

Mr. Speaker: Now, he might sit down.

Shri S. M. Banerjee: Kindly hear me.

Mr. Speaker: I have already heard him and I have answered him. What else does he want now?

Shri S. M. Banerjee: Kindly allow me to continue. Let me finish what I wanted to say.

Mr. Speaker: It is not for him to continue. I have heard him say what he wanted to say, and I have said that words that I have not uttered should not be put into my mouth.

Shri S. M. Banerjee: I have another point to urge, and it is this. I only demand from you that you may kindly ask the Home Minister just to publish the names of those who have been shot dead. Are we not entitled to know it?

Mr. Speaker: All right.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे जब प्रश्नोत्तर काल चल रहा था और हम ने सवाल किया कि क्या वित्त मंत्री फलां फर्म के डिरैक्टर थे इस लिए बर्ड कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है तो आप ने कहा कि यह इम्प्यूटेशन है तो अब मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री रामेश्वरानन्द की गिरफ्तारी की खबर सदन को आज आप ने दी, उन के खिलाफ कई आरोप है वह भी पढ़ कर आप ने सुनाये तो जब कि यह केस चल रहा है जुर्म साबित नहीं हुआ है तब गृह मंत्री ने आल इंडिया रेडियो ने और पी० टी० आई० ने कैसे इस बात को मुनासिब समझा कि देश में स्वामी जी के भाषण की बात को फैलायें कि स्वामी जी के भाषण से सारा जो मजमा था वह गुस्से में आ गया और उन्होंने यह तोड़फोड़ और आग लगाने आदि के उपद्रव करने शुरू कर दिये **(व्यवधान)**

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : स्वामी जी का वह भाषण टेपरेकार्डेड है ।

श्री मधु लिमये : आप लोग हल्ला न कीजिये । मैं एक जायज मांग कर रहा हूं कि जब तक किसी के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ है तब तक कैसे देश में उस बात को आप फैला सकते हैं ? मैं मंत्रियों के खिलाफ जब आरोप करता हूं जो कि मैं साबित करने के लिये तैयार हूं तब तो आप कहते हैं कि इम्प्यूटेशन है और वह इनसिनुएशन वापिस लिया जाय, तो क्या एक माननीय सदस्य, जो कि इस वक्त सदन में नहीं हैं पुलिस की हिरासत में हैं, जिनके कि खिलाफ यह तमाम चार्जेज हैं क्या उन के बारे में कोई मंत्री साहब, पी० टी० आई० जिसको कि सरकार से पैसा मिलता है और आल इंडिया रेडियो कैसे रामेश्वरानन्द जी के बारे में आरोप लगा सकते हैं ? मैंने कल स्वयं रेडियो से वह खबर सुनी है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसे ही व्यवस्था उठती रही तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न संविधान की धारा 194 को लेकर है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या पहली व्यवस्था का जवाब नहीं देंगे देंगे ?

डा० राम मनोहर लोहिया : उस का जवाब दे दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : उस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मधु लिमये : कोई हमारे खिलाफ़ आरोप हो तो ठीक बात है, लेकिन मंत्री के खिलाफ़ नहीं हो सकेगा, मैं आपसे इसका सीधा जवाब चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने जवाब दे दिया कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह था कि जब तक केस साबित न हो जुर्म साबित न हो क्या माननीय सदस्य के खिलाफ मंत्री जी, आल इंडिया रेडियो और पी० टी० आई० द्वारा इस तरह से आरोप लगाया जाना उचित है ?

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में कहा जा सकता है अगर पुलिस ने केस रजिस्टर किया हो और उसमें जो कहानी आई हो उसका अगर होम मिनिस्टर यहां बयान करें तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है ।

श्री मधु लिमये : आरोप लगाया और उसे आल इंडिया रेडियो और पी० टी० आई० ने दुहराया ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : डा० लोहिया के व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर मेरा एक व्यवस्था का सवाल है और वह यह कि डा० लोहिया कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 194 के खिलाफ़ आपका वह निर्णय है तो मैं यह बतलाना चाहूंगा कि यह आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर ऐप्लाई करता है इस सदन के ऊपर वह ऐप्लाई नहीं करता इसलिए उनकी व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति बेकार हो जाती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : 194 के साथ वाली मौजूद है संविधान में । उसको निकाल कर देखलें और जिस तरह से यह 194 स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर ऐप्लाई करता है उसी तरह से इसके जैसा आर्टिकल दिया हुआ है जो कि पार्लियामेंट वाला है । उसे आप निकाल कर देख लें ।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : श्री मधु लिमये ने कल के श्री रामेश्वरानन्द के भाषण के सम्बन्ध में पी० टी० आई० व आल इंडिया रेडियो द्वारा जो टिप्पणी की गई उस पर आपत्ति की है तो मेरा कहना है कि जिस

समय गृह मंत्री वक्तव्य दे रहे थे उस समय आल इंडिया रेडियो के मंत्री ने यह कहा कि उनके पास स्वामी जी की टेपरेकार्डेड स्पीच है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्पीच जो रामेश्वरानन्द जी ने दी है वह टेप रिकार्ड की गई है और वह सदन् के पटल पर उपस्थित की जाय।

श्री मधु लिमये : वाह, यह अदालत नहीं है।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : मेरी समझ में नहीं आता है कि उधर से मेरे मित्र लोग किस बात पर हंसे? मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। मेरा एक आपसे निवेदन है कि हमने श्री कछवाय को यहां से बाहर जाने को कहा। आपकी आज्ञा का उन्होंने पालन किया यह तो ठीक रहा लेकिन श्री ब्रजराज सिंह ने अभी आपके सामने जो बात रखी थी वह यह थी action and reaction are equal and opposite. हमको गाली देने का अधिकार उधर वालों का है। .. (**व्यवधान**) हम उस पर आपत्ति करें और उस आपत्ति के आधार पर थोड़ा गरम हो जायें, तो यह नतीजा होता है कि हमको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन प्रजातन्त्र में हमको भी बोलने का अधिकार है। हम आपकी आज्ञा का हमेशा और सर्वथा पालन करते आये हैं। यह पहला मौका है कि हमको यह गलत बात मालूम पड़ी। गालियां उधर से दी गई, उसके ऊपर श्री कछवाय अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सके। वह मेरे खुद के आदमी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी त्रुटि हुई है, लेकिन जब वह बोले तो रिऐक्शन के तौर पर बोले। अगर उसकी सजा उनको भुगतनी पड़े तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी स्थिति में आपको अपने विचारों पर फिर से देखना और पुनर्विचार करना चाहिये।

श्री के० डे० मालवीय (बस्ती) : आज हमारी तरफ से यह आरोप लगाया गया है, लेकिन रोजमर्रा महीनों से विरोधी दल के मित्र लोग कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस के वसूलों के ऊपर, हमारे कारनामों के ऊपर आपत्ति करते हैं आरोप लगाया करते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं।

एक माननीय सदस्य : सही हैं आरोप। .. (**व्यवधान**)

श्री के० डे० मालवीय : गलत बातें भी कहते हैं तो भी हम लोग बराबर बर्दाश्त करते हैं। आज अगर किसी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कल की कार्रवाइयों के लिये, ब्लडशेड, खून, हत्याओं की, जो मोटरें जली हैं, सब नुकसान की जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है, **(**व्यवधान**) **

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला देना चाहिये। यह इस बात का सबूत है कि उन्होंने आरोप लगाया और गाली दी गई श्री कछवाय को।

Shri Ranga (Chittoor): We could not get the permission of the House to discuss what had happened yesterday, and you did not give permission to any of the other members to raise the particular question today. Is it proper for my friend Mr. Malaviya now to make such a categorical statement**? Would it be proper for this House to allow that statement to remain on the records? Should it not be expunged?

Shri A. P. Sharma (Buxar):**

Shri U. M. Trivedi: I am very much thankful to my friends on this side and my friends on that side also. ** I know Mr. Malaviya for a long time.**

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): This may be expunged from the proceedings.

**Expunged as ordered by the Chair

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): From where did you get the money for this bandh?

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): अभी श्री मालवीय ने जो कुछ कहा वह जनरल तरीके से कहा.... **(व्यवधान)**.. जब आरोप लगाया जाता है तब हम उसको सुनते हैं। चाहिये तो यह था कि दोनों तरफ से किसी पर आरोप इस तरह से न लगाया जाये जब तक कि किसी के पास उसका काफी सबूत न हो। लेकिन कुछ थोड़ी सी आदत बिगड़ गई है और बिना कुछ समझे बूझे आरोप लगाये जाते हैं। हो सकता है वह सही हो, हो सकता है वह गलत हो। अगर आरोप लगाने के पहले जो आरोप लगाने वाले हों वह कन्विन्स हो जायें कि कोई प्राइमा फेसी केस है, तब उनको पूरा हक है कि वह एक्स्पोज करें। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हर एक आदमी को हक है, अपोजीशन को खास तौर पर हक है, कि वह हमारी गलती को एक्स्पोज करे। यह एक अलग चीज है। **

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जब तक कल की घटनाओं की न्यायिक जांच न हो जाये तब तक किसी के ऊपर यह इल्जाम लगाना कि उसने भड़काया, उसकी जिम्मेदारी है, यह गलत है।

Shri R. S. Pandey: Swami Rameshwaranand****** gave such a provocative speech and this situation resulted out of this. It is nothing but a fact.

श्री मधु लिमये: सेठ गोविन्द दास और सेठ कमलनयन को क्यों गिरफ्तार किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर इस पर आपत्ति की गई है कि जो कुछ मेम्बरान ने कहा वह काबिले ऐतराज है, तो मैं भी समझता हूं कि दोनों तरफ से जो कुछ कहा गया है वह काबिले ऐतराज है और वह रेकार्ड में नहीं आना चाहिये। दोनों तरफ से जो कुछ कहा गया है उसे एक्स्पन्ज कर दिया जाये।

12.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

STATEMENT RE: CYCLONE DAMAGE IN MADRAS

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): I beg to place on the Table of the House a statement regarding damage to ships caused by the Cyclone at Madras on the 3rd November 1966. [*Placed in Library. See* No. LT-7248/66.] (*Interruptions.*)

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) अध्यक्ष महोदय, मुझे भी क्या आप बोलने देंगे?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : डाक्टर लोहिया का प्वाइंट आफ आर्डर है, सुनिये आप।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने सुन लिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : कितनी बेइन्साफी हो रही है रामेश्वरानन्द से। उन्होंने खाली यही कहा था कि लोक सभा को घेर लो।.. **(व्यवधान)**.. बड़ी बेइन्साफी होगी।.. **(व्यवधान)**... यह झुंड कैसे चिल्ला रहा है।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब मेरी बात सुन लीजिये। अगर आप स्वामी रामेश्वरानन्द की बाबत...

डा० राम मनोहर लोहिया : यह झुंड चलने नहीं देगा ...

**Expunged as ordered by the Chair.